23/3/26

पत्रावली वास्ते आदेश आवेदन आदेश 07 नियम 11 CPC आज पेश हुई वकील उभयपक्ष हाजिर। मैंने सुनी गयी बहस व विधिक प्रावधानों पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अतः प्रतिवादी द्वारा पेश आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

बइजलासः— मोनिका सामोर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—153/2017/दावा

श्रवण कुमार बनाम मंगलचन्द व अन्य

प्रार्थना पत्र आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति—

1. वकील श्री सुरेन्द्र विश्राम व श्री मोहन मूण्ड, वादी की ओर से।
2. वकील श्री आनन्द राड़, प्रतिवादी संख्या 2/2 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 23.03.2026**

1. प्रतिवादी संख्या 2/2 (योगेश कुमार पुत्र स्व. धन्नाराम) की ओर से जरिये वकील ने आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वर्णित भूमियों के उक्त बदल—पत्र के सम्बंध में पहले भी एक वाद—पत्र वादीगण के पिता महावीर प्रसाद ने प्रथम वाद माननीय सहायक कलेक्टर महोदय सीकर के यहाँ पेश किया जिसे माननीय सहायक कलेक्टर महोदय सीकर ने दिनांक 01.12.1992 को खारिज कर दिया। माननीय सहायक कलेक्टर महोदय सीकर के निर्णय दिनांक 01.12.1992 से असंतुष्ट होकर वादीगण के पिता महावीर प्रसाद ने इसकी अपील माननीय न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी के यहाँ पेश की जो अपील संख्या 12/93 दर्ज होकर दिनांक 20.10.1999 को निर्णित्त हुई, जिसकी प्रति आवेदन के संलग्न है। राजस्व अपील अधिकारी महोदय, सीकर के निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 (जो कि अब मृत है तथा प्रार्थी के पिता है) के द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के यहाँ अपील पेश की गई जो अपील संख्या (32/2000 व 97/2000) दर्ज होकर दिनांक 03.09.2004 को निर्णित हुई है, जिसकी प्रति संलग्न आवेदन है। न्यायालय राजस्व मंण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 03.09.2004 के फैसले से असंतुष्ट होकर वादीगण के पिता महावीर प्रसाद द्वारा रिट माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के यहाँ जो रिट पीटीशन संख्या 8764/2004 पर दर्ज होकर दिनांक 19.01.2006 को फैसल हो गई। उक्त सभी तथ्यों को छुपाते हुये वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 3 (महावीर प्रसाद) अब अपने पुत्रों/वादीगण से माननीय न्यायालय में उक्त गलत रूप

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ